न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7067–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–11–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर प्रकरण कमांक 23/बी–103/2014–15/33/38

1– हरि प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.पी. अग्रवाल
निवासी 63, श्रीराम कॉलौनी, झांसी रोड, ग्वालियर
2– मुकेश गर्ग पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल गर्ग
निवासी 823, सिल्वर स्टेट, सिटी सेन्टर, ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर

.....अनावेदक

1– स्व. श्री धर्मपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार करम सिंह
मृत द्वारा वारिसान–
(1) श्रीमती आशिमा स्याल पत्नी लायकचन्द्र स्याल
पुत्री स्व. श्री धर्मपाल बाबा
निवासी कासिम खां का बाड़ा
दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर
2– राजेन्द्र स्याल पुत्र लाला दीवानचन्द्र स्याल
निवासी एच. 24, गांधी नगर, ग्वालियर

.....प्रोफार्मा अनावेदकगण/विकेतागण

श्री प्रशांत शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक शासन
श्री राजेन्द्र सागौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (1) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण व अनावेदिका कमांक 1 श्रीमती आशिमा स्याल के पिता स्व. धर्मपाल सिंह एवं राजेन्द्र स्याल के मध्य एम.एल.बी. रोड, फूलबाग स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 29617 वर्गफीट के संबंध में अपंजीकृत विकय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ । उभय पक्ष के मध्य प्रचलित व्यवहार वाद कमांक 3 ए/2014 में पंचम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा विकय अनुबंध पत्र में पर्याप्त मुद्रांक शुल्क नहीं होने से मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति वसूली हेतु अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही कर उक्त दस्तावेज मूल रूप से न्यायालय को वापिस करने के निर्देश के साथ कलेक्टर आफ स्टाम्प, ग्वालियर को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 23/बी–103/2014–15/33/38 दर्ज कर दिनांक 9–11–2015 को आदेश पारित कर 8,00,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 7,99,999/– रूपये 15 दिवस में जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र से आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूखण्ड पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र, विकय पत्र नहीं होकर ज्वाईंट एडवेंचर है, उक्त अनुबंध पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया जाकर 8,00,00,000/– रूपये विकेता को देने के पश्चात जो शेष राशि बचेगी, वह आवेदकगण एवं विकेता आधा–आधा लेंगे, इस कारण प्रश्नाधीन दस्तावेज विकय अनुबंध पत्र नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि विकय विलेख में विकय करने का कोई उल्लेख नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प को विलेख की विषय वस्तु पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन विलेख को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विकय अनुबंध पत्र मान्य किया गया है, जिसके विरूद्ध निष्कर्ष निकालने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमि को विकय अनुबंध पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में प्रश्नाधीन विकय अनुबंध पत्र पर अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 (इ) के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क देय होना मान्य किया गया है, और कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में ही प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र पर अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 5 (इ) के अंतर्गत 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर